न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 30 / 2025

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. राणाराम पुत्र भैराराम उम्र 50 वर्ष
2. अमियो पत्नि भैराराम उम्र 75 वर्ष जातियान जाट निवासी ऊंचिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

1. अचलाराम पुत्र सोनाराम
2. अणसी पुत्री रामाराम
3. उकाराम पुत्र हीराराम
4. कालूराम पुत्र दुर्गाराम
5. खेराजराम पुत्र दुर्गाराम
6. चिमनाराम पुत्र हीराराम
7. जमनादेवी पुत्री रामाराम
8. जोगाराम पुत्र टीकमाराम
9. धुडाराम पुत्र दुर्गाराम
10. धनाराम पुत्र सोनाराम
11. निम्बाराम पुत्र दुर्गाराम
12. निरमाकुमारी पुत्री रामाराम
13. पुरखाराम पुत्र दुर्गाराम
14. प्रहलादराम पुत्र सोनाराम
15. पोकरराम पुत्र रागाराम
16. बाबूलाल पुत्र भैराराम
17. मूलीदेवी पत्नि टीकमाराम
18. रूपाराम पुत्र सोना राम
19. रूपाराम पुत्र भैराराम
20. लाछीदेवी पत्नि सोनाराम
21. वजाराम पुत्र हीराराम
22. वेहनाराम पुत्र भैराराम
23. सुआ पुत्री रामाराम
24. हुकमाराम पुत्र टीकमाराम
25. अन्नीदेवी पुत्री देवाराम
26. गेहरोंदेवी पुत्री देवाराम
27. नानगा[illegible]लाराम
28. [illegible]
29. लेरोंदेवी [illegible] अचलाराम जातियान जाट निवासी [illegible] तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
30. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिणधरी 3 जिला बालोतरा
31. तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री दलाराम चौधरी, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 31 की ओर से उपस्थित।
3.शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 24.04.2025

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 1097 क्षेत्रफल 52.0511 हैक्टर ग्राम उंचिया पटवार मण्डल दाखां तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1086 रकबा 5.6873 हैक्टयर ग्राम उंचिया पटवार मण्डल दाखां भूमि आये हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थीगण के उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थीगण भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम उंचिया पटवार मण्डल दाखां तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1086 रकबा 5.6873 हैक्टयर भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 30 को सुनवाई हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 31 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 1097 क्षेत्रफल 52.0511 हैक्टर ग्राम उंचिया पटवार मण्डल दाखां में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1086 रकबा 5.6873 हैक्टयर ग्राम उंचिया पटवार मण्डल दाखां भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थीगण की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थीगण भूमि पर काश्त कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

इसे अवरुद्ध कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी जोत से आवागमन हेतु निकटतम विकल्प के रूप में खसरा संख्या 1086 रकबा 5.6873 हैक्टयर ग्राम उंचिया पटवार मण्डल दाखां में रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4.विप्रार्थी संख्या 31 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 1097 क्षेत्रफल 52.0511 हैक्टर ग्राम उंचिया पटवार मण्डल दाखां तहसील सिणधरी से सड़क मार्ग के मध्य विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1086 रकबा 5.6873 हैक्टयर ग्राम उंचिया पटवार मण्डल दाखां में से नया रास्ता को स्वीकृत करनें तहसीलदार सिणधरी अपनी अभिशंषा सहित मौका जांच कर रिर्पोट पत्र कमांक 970/24.04.2025 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि ग्राम उंचिया पटवार मण्डल दाखां तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 1097 में पहुचनें के लिए ग्राम उंचिया पटवार मण्डल दाखां तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 1086 रकबा 5.6873 हैक्टयर में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेतों में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। विप्रार्थी संख्या 01 व 30 को न्याया[illegible] रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया था। विप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड नोटिस तामील शुदा [illegible] हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 30 को सुनवाई हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के [illegible] नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 3[illegible] की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण द्वारा चाही गई इस्तदुआ से भली–भांली जानकार है तथा जानबूझकर प्रकरण में निस्तारण हेतु स्वयं उपस्थित नहीं हो रहे अथवा प्रार्थी की इस्तदुआ से सहमत है। परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

से प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता भी नहीं है इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 1086 में लम्बाई 40 मीटर एवं चौड़ाई 06 मीटर रकबा 0.0240 हैक्टयर भूमि का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि–287000/– रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने के हकदार है।

6.लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम उंचिया पटवार मण्डल दाखां के खसरा संख्या 1086 में लम्बाई 40 मीटर एवं चौड़ाई 06 मीटर रकबा 0.0240 हैक्टयर, तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग लाल कलर ——–दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को विप्रार्थीगणों को क्षतिपूर्ति की गणना कर भुगतान हेतु तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है।तहसीलदार सिणधरी के पत्र क्रमांकःभू.अ./2024/970 दिनांक 24.04.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 24.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:18 IST
Reason: SelfAttested